संख्या-4/2016/483एस0ची0उ0अनु0-1/16-1700/2015

प्रेषक,

प्रमोद कुमार उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 11 अप्रैल, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-2017 के अनुदान संख्या-24 आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत चीनी आयुक्त के अधिष्ठान हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-132/लेखा बजट/2016-2017, दिनांक 31-3-2016 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 में चीनी आयुक्त का अधिष्ठान व्यय हेतु अनुदान संख्या-24 के (आयोजनेत्तर) पक्ष के लेखा शीर्षक-2852-उद्योग, 08-उपभोक्ता उद्योग, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 17,06,72,000/- (रू0 सत्रह करोड़ छः लाख बहत्तर हजार मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि हजार रूपये में)

01-वेतन	67259
03-मंहगाई भत्ता	91472
04-यात्रा व्यय	880
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	93
06-अन्य भत्ते	6100
07-मानदेय	14
08-कार्यालय व्यय	440
09-विद्युत देय	275
10-जलकर/जलप्रभार	2
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	130
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	300
13-टेलीफोन पर व्यय	99

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	283
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	125
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	1200
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	40
45-अवकाश यात्रा व्यय	10
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	400
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	440
49-चिकित्सा व्यय	1100
51-वर्दी व्यय	10
	योग- 170672

(रू0 सत्रह करोड़ छः लाख बहत्तर हजार मात्र)

3- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत धनराशि को व्यय करने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4- आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार किया जाये।

7- उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि को वित्तीय वर्ष 2016-2017 के अनुदान संख्या-24 (आयोजनेत्तर पक्ष) के अन्तर्गत उक्त लेखा शीर्षक-"2852-उद्योग, 08-उपभोक्ता उद्योग, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान" के उक्त उल्लिखित सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या-4/2016/483(1)एस0ची0उ0अनु0-1/16-तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)

7- चीनी उद्योग अनुभाग-2/3

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।